((2013) 16 एस.सी.आर. 939

कृषि उत्पाद बाजार समिति

बनाम

बायोटोर इंडस्ट्रीज लि. और अन्य

(2008 की सिविल अपील संख्या 3130-3131)

29 नवंबर 2013

{जी.एस. सिंघवी और वी. गोपाल गौडा, जे.जे.,}

कृषि उपज. बाजार शुल्क-प्रत्यर्थी-कंपनी, अपीलार्थी-एपीएमसी के बाजार क्षेत्र में स्थित है, अरंडी के बीज से अरंडी के तेल का निर्माण करना-अपीलार्थी-एपीएमसी ने अरंडी के बीज पर बाजार शुल्क लगाने की मांग की।प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खरीदा गया-प्रत्यर्थी-कंपनी यह कहते हुए लेवी का विरोध किया कि अरंडी के बीज बाजार क्षेत्र के बाहर से बाजार क्षेत्र में लाए गए थे, एपीएमसी के बाजार क्षेत्र में जैसा कि अन्तर्गत नियम 48(2) का 1965 के नियम द्वारा प्रदान किया गया है और कृषि उपज पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता था बाजार क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा इसका उपयोग करें- अरंडी के बीज पर बाजार शुल्क लगाना-वैधता-अभिनिर्धारित प्रत्यर्थी-कंपनी ने अरंडी बीज की खरीद के लिए ऑर्डर दिया बाजार क्षेत्र के बाहर से इसके आपूर्तिकर्ताओं से बीज, इसके लिए तुरंत

भुगतान नहीं किया गया-जब अरंडी का बीज मंडी क्षेत्र में पहुंचा तो इसकी तुलाई की गई प्रत्यर्थी-कंपनी और उसके भुगतान पर सहमति हुई प्राप्त मात्रा के अनुसार बनाया जाता है और तब तक अरंडी बीज विक्रेता के स्वामित्व में बने रहे प्रत्यर्थी-कंपनी केवल संपत्ति की मालिक बन गई एक बार अरंडी के बीज का सही वजन पता चल गया और खरीद वाउचर प्राप्त किया गया-इस प्रकार अरंडी के बीज की बिक्री अपीलकर्ता-एपीएमसी के बाजार क्षेत्र के भीतर हुआ तदनुसार अपीलकर्ता को ऐसी खरीद के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी शुल्क लेने के लिए अधिकृत किया गया था धारा 48(1) तथ्यात्मक स्थिति पर लागू होता है न कि धारा 48(2) पर-अपीलकर्ता-एपीएमसी ने बाजार शुल्क का सही आकलन किया और लगाया अधिनियम की धारा 28 के अनुसार-प्रत्यर्थी-कंपनी उत्तरदायी है बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए जो अरंडी के बीज की खरीद पर उपकर है, एपीएमसी-गुजरात कृषि उपज के दावे को सही ठहराते हुए बाजार अधिनियम, 1963 -नियम 2(1)(i) और 28-गुजरात कृषि उत्पाद बाजार नियम, 1965-नियम 48-माल की बिक्री अधिनियम, 1930- धारा 19, 20 और 21.

कृषि उपज बाजार शुल्क-प्रत्यर्थी-कंपनी, अपीलकर्ता-एपीएमसी के बाजार क्षेत्र में स्थित है,अरंडी के बीज से अरंडी का तेल बनाने का उपक्रम -अरंडी के तेल के निष्कर्षण से तेल रहित केक का उत्पादन होता है, एक उप-उत्पाद जिसमें 1 प्रतिशत से कम अरंडी का तेल होता है-डी-ऑयल केक

फिर बाजार में बेचा जाता है-डी-ऑयल पर बाजार शुल्क लगाया जाता है। वैधता-अभिनिधार्रित-तेल रहित केक का उप-उत्पाद है यह ऑयल केक से अलग है क्योंकि इसमें 1 प्रतिशत से कम तेल होता है यह अधिनियम की अनुसूची में शामिल नहीं है। उद्देश्य बाजार शुल्क वसूलने का- जिस वस्तु का उल्लेख है वह तेल केक है जो डी-ऑइल वाले केक से अलग और विशिष्ट है -इस प्रकार अपीलार्थी-एपीएमसी द्वारा कोई बाजार शुल्क डी-ऑयल केक पर नहीं लगाया जा सकता है-गुजरात कृषि उपज बाजार अधिनियम,1963- धारा 2(1)(i) और 28.

प्रत्यर्थी-कंपनी एक औद्योगिक संस्था है जो अरंडी बीज से अरंडी के तेल का निर्माण करती है जिन्हें गुजरात कृषि उपज बाजार अधिनियम की अनुसूची,1963 के तहत कृषि उपज घोषित किया गया है अपीलकर्ता-कृषि उपज बाजार समिति, बडौदा (एपीएमसी) ने बाजार शुल्क लगाने की मांग की प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खरीदे गए अरंडी के बीज पर। प्रत्यर्थी-कंपनी ने लेवी का विरोध किया कि अरंडी के बीज को बाजार क्षेत्र में बाहर से औद्योगिक प्रयोजन हेतु लाया गया था इसलिये गुजरात कृषि उपज बाजार नियम, 1965 के नियम 48 के उप-नियम (2) के तहत कृषि उपज पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

mPp न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने एपीएमसी तर्क को बरकरार रखा प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खरीदा गये अरंडी के बीज पर बाजार शुल्क

लगाया जाता है लेकिन डी-ऑयल केक, एक उप-उत्पाद पर बाजार शुल्क लगाने के लिए अरंडी के तेल के निर्माण का,प्रत्यर्थी-कंपनी का तर्क स्वीकार किया कि डी तेल केक, तेल केक के रूप में नहीं माना जा सकता है, और इसलिए,अधिनियम की अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए बाजार शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं है A

पीडित, प्रत्यर्थी-कंपनी और साथ ही एपीएमसी ने क्रॉस अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने प्रत्यर्थी द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया- एपीएमसी कंपनी और द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया।

उक्त अपीलों में निम्नलिखित प्रश्न उठे इस न्यायालय के विचारार्थ- 1) क्या एपीएमसी, बडौदा प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खरीदे गए अरंडी के बीज पर बाजार शुल्क का दावा करने के लिए उत्तरदायी है, इस दलील पर कि ये एपीएमसी, बडौदा के बाजार क्षेत्र के भीतर खरीदे गए थे, जहां अरंडी के बीज का उपयोग उक्त औद्योगिक कंपनी द्वारा एपीएमसी, बडौदा के बाजार क्षेत्र के भीतर अरंडी के तेल के निर्माण के लिए किया जाता है 2) क्या अरंडी के तेल के निर्माण के लिए प्रत्यर्थी औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग के लिए अरंडी के बीज की खरीद बाजार शुल्क के भुगतान से छूट पाने के लिए नियमों के नियम 48(2) के अंतर्गत आती है 3) क्या डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को खारिज

करना उचित है जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खरीदे गए अरंडी के बीज एपीएमसी के बाजार क्षेत्र के भीतर हैं 4) क्या डिवीजन बेंच का यह निष्कर्ष दर्ज करना उचित है कि प्रत्यर्थी कंपनी अपने द्वारा बेचे गए डी-ऑयल केक पर किसी भी बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जैसा कि कहा गया है अरंडी के तेल के निर्माण के दौरान उप-उत्पाद होना जो अधिनियम की अनुसूची और निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में सूचीबद्ध वस्तुओं में से एक नहीं है।

अपीलों का निस्तातरण न्यायालय द्वारा

अभिर्निधारित:.

1.1 प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खरीदी गई अरंडी के बीज पर बाजार शुल्क का उद्ग्रहण को बरकरार रखा गया है, और यह उक्त बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। {पैरा 19}{968-सी}

1.2. उक्त भौतिक तथ्यों के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रत्यर्थी-कंपनी ने बाजार क्षेत्र के बाहर से अपने आपूर्तिकर्ताओं से अरंडी के बीज की खरीद के लिए आदेश दिया था, लेकिन इसके लिए तुरंत कोई भुगतान नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी-कंपनी की मांग पर, उसके द्वारा अपेक्षित अरंडी के बीज की मात्रा आपूर्तिकर्ता द्वारा पहुंचाई गई थी जो उसे बाजार क्षेत्र के भीतर प्राप्त हुई थी। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्राप्त खेप का वजन कंपनी द्वारा बाजार क्षेत्र के भीतर

किया गया था। इसके बाद प्राप्त अरंडी के बीज का सही वजन पता चलने पर कंपनी द्वारा आपूर्तिकर्ता को सहमत दर पर भुगतान किया गया। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश उपरोक्त तथ्यों की सराहना के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचे और माना कि बिक्री तब तक प्रभावी नहीं हुई जब तक कि प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खेप प्राप्त नहीं हो गई और उसे बाजार क्षेत्र के भीतर तौला नहीं गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कंपनी की ओर से विद्वान वकील द्वारा किए गए दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया है कि परिवहन के दौरान कमी या हानि या क्षति के मामले में, विक्रेता ट्रांसपोर्टर से क्षति का दावा कर सकता है और यह आगे प्रदर्शित करेगा कि प्रत्यर्थी-कंपनी वह तब तक माल का मालिक नहीं बनता था जब तक कि वह उसकी भौतिक डिलीवरी नहीं ले लेता था, उसका वजन नहीं कर लेता था और प्राप्त मात्रा के बारे में स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाता था। यह माना गया कि इसके द्वारा मात्रा का पता लगाना मात्र एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इसमें प्राप्त मात्रा की सीमा के आधार पर भुगतान करने का आवश्यक तत्व है और मात्रा में किसी भी भारी कमी के मामले में, मुद्दा दोनों के आपूर्तिकर्ता और ट्रांसपोर्टर बीच होगा। आगे की खोज में दर्ज किया गया कि यदि व्यापारी द्वारा आपूर्ति की गई 100 क्विंटल अरंडी के बीज की मात्रा के मुकाबले, प्रत्यर्थी-कंपनी को हानि, क्षति या चोरी के कारण इसका केवल आधा हिस्सा प्राप्त होता है, तो कंपनी केवल इतनी मात्रा के लिए भुगतान करेगी। व्यापारी को नुकसान की भरपाई ट्रांसपोर्टर

से करनी होगी। ऐसा भी मामला होगा जहां कुछ अप्रिय और अप्रत्याशित परिस्थितियों, जैसे प्राकृतिक आपदा या चोरी के कारण, प्रत्यर्थी-कंपनी को अरंडी के बीज की पूरी मात्रा प्राप्त नहीं हुई, भुगतान केवल प्राप्त मात्रा के लिए किया जाएगा और व्यापारी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पूरी मात्रा के लिए नहीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य को सही ढंग से दर्ज किया है कि जब अरंडी के बीज बाजार क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो कंपनी द्वारा इसका वजन किया जाता था और प्राप्त मात्रा के अनुसार भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की जाती थी और तब तक अरंडी के बीज विक्रेता के स्वामित्व में रहते थे। अरंडी के बीज का सही वजन सुनिश्चित होने और खरीद वाउचर प्राप्त होने के बाद ही कंपनी संपत्ति की मालिक बन जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही माना कि एपीएमसी का यह तर्क उचित है कि अरंडी के बीज की बिक्री बाजार क्षेत्र के भीतर हुई थी और अपीलकर्ता को ऐसी खरीद के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी से शुल्क लेने के लिए अधिकृत किया गया था। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि अरंडी का बीज प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा एपीएमसी, बडौदा के बाजार क्षेत्र के भीतर खरीदा गया था और इसलिए नियमों का नियम 48(1) तथ्यात्मक स्थिति पर लागू होता है, न कि नियम 48(2) जैसा कि वकील द्वारा तर्क दिया गया। माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 19, 20 और 21 के प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद उक्त निष्कर्ष पर पहुंचा गया। {पैरा 13}{957-इ-एच 958-ए-एच 959-ए,बी}

1.3 विद्वान एकल न्यायाधीश उन दस्तावेजों के आधार पर, जो सभी स्वीकृत दस्तावेज हैं, सही निष्कर्ष पर पहुंचे और माना कि अरंडी के बीज प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा बाजार क्षेत्र के भीतर खरीदे गए थे। इसलिए, एपीएमसी ने बाजार शुल्क का सही मूल्यांकन किया है और अधिनियम की धारा 28 के अनुसार इसे लगाया है, जो मूल्यांकन आदेश तथ्यों की उचित सराहना किए बिना और धारा 28 और नियम 48(1) के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू किए बिना पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा गलती से रद्द कर दिया गया है और गलत निष्कर्ष पर पहुंचे और माना कि खरीदा गया सामान कंपनी द्वारा अपने कारखाने में तेल बनाने के उद्देश्य से बाजार क्षेत्र के बाहर से लाया गया था। इसलिए, यह तर्क माफी योग्य नहीं हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और यह माना गया था कि प्रत्यर्थी-कंपनी बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जो अरंडी के बीज की खरीद पर उपकर है, एपीएमसी के दावे को उचित ठहराते था दिनांक 22.12.2005 के आदेश पर कंपनी द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 139/2006 दाखिल करने पर सवाल उठाया गया था और उस आदेश को डिवीजन बेंच ने नियम 48(2) का हवाला देते हुए कंपनी के पक्ष में बिंदु संख्या 1 का उत्तर देकर गलती से रद्द कर दिया था और उपरोक्त निर्णयों को गलत ढंग से लागू करना। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सुप्रा में संदर्भित उक्त फैसले पर सही ढंग से मजबूत भरोसा जताया और सही निष्कर्ष पर पहुंचे और माना कि अरंडी के बीज के माल की बिक्री

एपीएमसी के बाजार क्षेत्र के भीतर है। दूसरी ओर, विद्वान डिवीजन बेंच ने नियमों के फॉर्म नंबर अ पर भरोसा करते हुए नियम 48(2) पर मजबूत निर्भरता जताई, जो कि कंपनी द्वारा उत्पादित घोषणा और प्रमाण पत्र का फॉर्म है जो पृष्ठ 79 से 89 पाया गया था जो यह पता लगाने के उद्देश्य से पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं कि क्या सामान यानी अरंडी के बीज कंपनी द्वारा एपीएमसी के बाजार क्षेत्र के भीतर खरीदे गए थे या नहीं।{पैरा 14} {960-जी-एच 961-ए-एफ 961}

1.4 तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित है, जो प्रत्यर्थी-कंपनी के दस्तावेज हैं जिन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले में बडे पैमाने पर संदर्भित किया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अरंडी के तेल के बीज प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा एपीएमसी के बाजार क्षेत्र के भीतर खरीदे गए थे और इसलिए, उन्होंने सही माना है कि नियम 48(2) उस तथ्य पर लागू नहीं होता है जैसा कि दावा किया गया है। प्रत्यर्थी-कंपनी और फॉर्म नंबर v पर निर्भरता, जो एपीएमसी क्षेत्र के बाहर से लाए गए अरंडी के बीज पर बाजार शुल्क के भुगतान से छूट की मांग करते हुए एपीएमसी से प्राप्त घोषणा और प्रमाण पत्र का फॉर्म है, भौतिक साक्ष्य के विपरीत रिकॉर्ड पर है और इसलिए, डिवीजन बेंच ने रिकॉर्ड पर निर्विवाद सामग्री साक्ष्य की उचित सराहना पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को उलटने में गंभीर गलती की है।{पैरा 15} {961-एफ-एच 962-ए-बी}

कृषि बाजार समिति बनाम शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड एआईआर 1997 एससी 2502 1997 (1) सप्ल एससीआर 164- संदर्भित।

हो किम सेंग बनाम माउंग बा चित एआईआर 1935 पीसी 182 -संदर्भित।

2.1 ऑयल केक को कृषि उपज के रूप में अनुसूची में शामिल किया गया है जो अधिनियम की धारा 2(1)(i) के संदर्भ में योग्य कृषि उपज है। इसमें उप-नियम (iv) में तिलहन शामिल है। आइटम नंबर 8 में अरंडी के बीज हैं और आइटम नंबर 11 में ऑयल केक हैं।ऐसी उपज पर बाजार शुल्क लगाने के उद्देश्य से ऑयल केक एक योग्य कृषि उपज है। तथ्यात्मक और प्रतिद्वंद्वी तर्कों के आधार पर और पक्षों द्वारा प्रस्तुत भौतिक साक्ष्यों के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खरीदा गया अरंडी का बीज अरंडी के तेल की निकासी के लिए की गई प्रक्रिया के संबंध में पैराग्राफ 23 में दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा उत्पादित उप-उत्पाद डी-ऑयल केक है जिसमें 1 प्रतिषत से कम अरंडी का तेल होता है और अरंडी के बीज को एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पडता है ताकि इसमें से अधिकतम संभव तेल निकाला जा सके। प्रथम चरण में कच्चे बीजों को साफ करके भूसी आदि से अलग करने के बाद अरंडी के बीजों को यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से कुचलकर उससे तेल निकाला जाता है। यांत्रिक प्रक्रिया के बाद, जिसमें तेल केक में पर्याप्त मात्रा में तेल

निकाला जाता है, अवशिष्ट उत्पाद डी-तेल रहित केक होता है जिसे बाजार में बेचा जाता है। यह तेल केक के शीर्ष के अंतर्गत नहीं आता है। { पैरा 16}{963-सी-एफ}

2.2 ऑयल केक शब्द को एपीएमसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है और आगे रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर ऑयल केक और डी-ऑयल केक में तेल की सामग्री में अंतर को विस्तृत किया गया है, अलग-अलग शब्दों का संज्ञान, ऑयल केक और डी ऑयल केक-गुजरात बिक्री कर अधिनियम में तेलयुक्त केक, तेल निकालने की प्रक्रिया में अंतर जिसके कारण तेलयुक्त केक और डी-तेलयुक्त केक का उप-उत्पाद होगा, हमें यह मानना होगा कि डी-तेलयुक्त केक तेल केक की तुलना में पूरी तरह से अलग उत्पाद है। डी-ऑइल केक का उत्पाद ऑयल केक से अलग है क्योंकि इसमें तेल की मात्रा 1 प्रतिशत से कम होती है और यह बाजार शुल्क वसूलने के उद्देश्य से अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने डी-ऑयल केक पर बाजार शुल्क लगाने के खिलाफ मामले को स्वीकार किया। { पैरा 17}{963-बी-सी}

2.3 विनिर्माण प्रक्रिया से प्राप्त उप-उत्पाद तेल केक नहीं है, बल्कि प्रक्रिया से गुजरने के बाद डी-ऑयल केक है, जिससे डी-ऑयल केक प्राप्त होगा। एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 1प्रतिषत से कम तेल वाले डी-ऑयल केक का धारा 2 (1)(i) एपीएमसी अधिनियम के अनुसार

अनुसूची में प्राधिकरण द्वारा कृषि उपज के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है और आगे माना गया कि उपरोक्त उपज ऑयल केक से पूरी तरह से अलग है। इसलिए, एपीएमसी द्वारा प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा भुगतान किया जाने वाला कोई बाजार शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। एकल न्यायाधीश के उक्त तथ्यात्मक निष्कर्ष को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उचित रूप से सहमति दी। उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि तेल उत्पादन में विनिर्माण का उत्पाद अरंडी के बीज केवल तेल रहित डी केक हैं और उनमें से एक नहीं हैं जिसका अनुसूची में बाजार शुल्क के लिये अधिसूचना जारी की गई है तथ्यात्मक मैट्रिक्स और वैधानिकता की उचित सराहना दृष्टिकोण एक पर आधारित है डी-ऑयल केक जैसे प्रावधानों का उल्लेख अधिनियम और अधिसूचना की अनुसूची नहीं किया गया है वह वस्तु जिसका उल्लेख तेल केक के रूप में किया गया है वह अलग और विशिष्ट है तेल रहित केक से. तदनुसार, की अपील मामले के इस पहलू पर एपीएमसी को विफल होना चाहिए डी-ऑयल केक पर बाजार शुल्क कम लगाने के निर्देश दिया गये ।{ पैरा 18}{967-ए-एच 968-ए}

एपी राज्य और अन्य बनाम मॉडर्न प्रोटीन्स लिमिटेड (1994)सप्लीमेंट (2) एससीसी 496-संदर्भित।

केस कानून संदर्भित:

एआईआर 1935 पीसी 182 में पैरा 13 को संदर्भित करता है।

1997 (1) पूरक। एससीआर 164 में पैरा 13 को संदर्भित करता है।

(1994) पूरक (2) एससीसी 496 पैरा 17 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3130-3131/2008.

एलपीए संख्या 139/2006 और 195/2006 में गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद के निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.04.2007 से

अपीलकर्ता की ओर से बी.के. सतीजा।

प्रत्यर्थी की ओर से संजय भट्ट, हेमन्तिका वाही

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

वी. गोपाल गौडा, जे.

1.यह अपीलें विषेश सिविल आवेदन संख्या 13606/2005 के साथ में पत्र पेटेंट अपील संख्या 139/2006 और 195/2006 के साथ सिविल आवेदन संख्या 514/2006 और सिविल आवेदन संख्या 1380/2006 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 24.04.2007 के विरूद निर्देशित की गई हैं। अपीलकर्ता-कृषि उपज बाजार समिति, बडौदा (संक्षेप में एपीएमसी) ने अपने पत्र पेटेंट अपील संख्या 195/2006 की बर्खास्तगी से व्यथित होकर दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा प्रस्तुत लेटर्स पेटेंट अपील संख्या

139/2006 को अनुमति दे दी। दोनों पत्र पेटेंट अपीलें विशेष सिविल आवेदन संख्या 13606/2005 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 22.12.2005 के खिलाफ दायर की गईं, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने पुनरीक्षण प्राधिकरण के दिनांक 19.4.2005 के आदेश को काफी हद तक रद्द कर दिया और एपीएमसी द्वारा कानून के प्रश्न बनाकर दायर किया गया आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

2. पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी दावों की विवेचना करने और यह पता लगाने के लिए कि क्या अपीलकर्ता-एपीएमसी इन अपीलों में चाही गई राहत का हकदार है, मामले के संक्षिप्त तथ्य नीचे दिए गए हैंः

अपीलकर्ता-एपीएमसी का गठन बॉम्बे कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के तहत 14.1.1958 को जारी अधिसूचना के अनुसार किया गया था और बडौदा शहर और बडौदा जिले के बडौदा तालुक के क्षेत्र को गुजरात उत्पाद बाजार अधिनियम, 1963 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत कृषि के उद्देश्य से बाजार क्षेत्र घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी-कंपनी, अपने द्वारा खरीदे गए अरंडी के बीज से अरंडी का तेल बनाती है, एपीएमसी के बाजार क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसलिए, यह इसके द्वारा की गई व्यापारिक गतिविधियों के लिए बाजार शुल्क/ उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। एपीएमसी ने कंपनी द्वारा खरीदे गए अरंडी के बीज पर इस आधार पर

बाजार शुल्क लगाया कि अरंडी के बीज एपीएमसी के बाजार क्षेत्र में लाए गए थे। प्रत्यर्थी-कंपनी ने राज्य सरकार के समक्ष अधिनियम की धारा 48 के तहत पुनरीक्षण आवेदन संख्या 2/2005 दायर करके उक्त वसूली का विरोध किया और तर्क दिया कि अरंडी के बीज गुजरात कृषि उपज बाजार नियम, 1965 के नियम 48 उप-नियम (2) (संक्षेप में नियम) के तहत एपीएमसी, बडौदा के बाजार क्षेत्र में बाजार क्षेत्र के बाहर से बाजार क्षेत्र में उपयोग के लिए लाए गए कृषि उपज पर बाजार क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रयोजन द्वारा कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 19.04.2005 द्वारा एपीएमसी द्वारा बाजार शुल्क लगाने के दिनांक 27.12.2004 को जारी आदेश को रद्द करते हुए प्रत्यर्थी-कंपनी के पक्ष में पुनरीक्षण आवेदन संख्या 2/2005 का निर्णय लिया।

3. एपीएमसी ने राज्य सरकार के उक्त आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226, 14 और 19 के तहत एक विशेष आवेदन संख्या 13606/2005 दायर किया। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों की लंबी सुनवाई के बाद आंशिक रूप से उक्त आवेदन को यह अभिनिर्धारित करते हुये स्वीकार किया कि अरंडी के बीज की बिक्री एपीएमसी, बडौदा के बाजार क्षेत्र के भीतर हुई थी, इसलिए, एपीएमसी बाजार शुल्क वसूलने में सही था। एपीएमसी के बाजार क्षेत्र के भीतर प्रत्यर्थी द्वारा खरीदे गए अरंडी के बीज पर नियम 48 के उप-नियम 2 खंड में छूट के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना

कि उक्त छूट औद्योगिक क्षेत्र द्वारा बाजार क्षेत्र के बाहर से एपीएमसी के बाजार क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज के लिए उपलब्ध थी और जहां अरंडी के बीज विक्रेता द्वारा बाजार क्षेत्र के भीतर खरीदे गए थे और बाजार क्षेत्र के भीतर औद्योगिक प्रयोजन से बेचे गए थे इसलिये छूट उपलब्ध नहीं थी । इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खरीदे गए अरंडी के बीज पर बाजार शुल्क लगाने के लिए एपीएमसी की याचिका को बरकरार रखा। एपीएमसी द्वारा डी-ऑयल केक पर बाजार शुल्क लगाने के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी-कंपनी की ओर से आग्रह की गई दलील को स्वीकार कर लिया और माना कि डी-ऑयल केक को ऑयल केक के रूप में नहीं माना जा सकता है इसलिए यह बाजार शुल्क लगाने के लिए पात्र नहीं है क्योंकि इसका अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी-कंपनी और एपीएमसी दोनों ने विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 22.12.2005 के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर क्रमशः लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 139/ 2006 और लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 195/2006 को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और एपीएमसी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और कहा कि जैसे ही कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा खरीदे गए कृषि उत्पाद, अर्थात् अरंडी के बीज, बाजार क्षेत्र के बाहर माल के मालिक के रूप में अपनी क्षमता में ऐसी उपज पर चुंगी का भुगतान करने के बाद बाजार क्षेत्र में लाए जाएंगे। इसे बाजार क्षेत्र के

अधिकार क्षेत्र के बाहर बिक्री के पूरा होने के रूप में माना जाएगा। इसलिए, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना कि एपीएमसी द्वारा प्रतिवादी-कंपनी से बाजार शुल्क का संग्रह नियमों के प्रावधानों के विपरीत है, अर्थात् नियमों के नियम 48, के उप-नियम (2), जो औद्योगिक इकाई द्वारा अपने उपयोग के लिए बाहर से बाजार क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज को छूट देता है। दूसरे विवाद पर, उच्च न्यायालय ने माना कि उप-उत्पाद, अर्थात् डी-ऑइल केक में 1 प्रतिषत से कम तेल होता है और अधिनियम की धारा 2 (प) के अनुसार अनुसूची में अधिसूचित नहीं है और इसलिए, उपरोक्त उत्पाद ऑयल केक से पूरी तरह से अलग होने के कारण, प्रत्यर्थी-कंपनी पर बाजार शुल्क का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है। इसलिए, वर्तमान सिविल अपीलें प्रस्तुत है।

4. एपीएमसी का यह मामला है कि 31.3.2004 को, निदेषक एपीएमसी, बडौदा और ग्रामीण वित्त, गुजरात राज्य ने अधिनियम के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, अरंडी के बीज और अरंडी केक को एपीएमसी, बडौदा की विनियमित कृषि उपज में शामिल करने की अधिसूचना जारी की। 19.4.2004 को एपीएमसी, बडौदा द्वारा अपने निदेशक के माध्यम से जारी अधिसूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी जिसमें बताया गया था कि उन उपज के व्यापार के लिये एपीएमसी, बडौदा को बाजार शुल्क/उपकर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। 28.6.2004 को एपीएमसी ने प्रत्यर्थी-कंपनी को नोटिस जारी कर मिल

में उपयोग किए जा रहे माल के संबंध में 19.4.2004 से 30.11.2004 की अवधि के लिए खाते प्रस्तुत करने के लिए कहा और इसके लिए मार्केट कमेटी से वर्ष 2004-2005 के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहा। प्रत्यर्थी-कंपनी खाते प्रस्तुत करने में विफल रही और निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने में भी विफल रही, जैसा कि 28.6.2004 के पहले पत्र में उल्लेख किया गया था, और इसलिए, एपीएमसी ने प्रत्यर्थी-कंपनी को अनुस्मारक भेजा और निर्देश का पालन करने के लिए कहा। दिनांक 7.12.2004 के पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी- कंपनी ने कंपनी द्वारा की गई अरंडी के बीज की खरीद के संबंध में 19.4.2004 से 30.11.2004 की अवधि के लिए मासिक विवरण प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर एपीएमसी ने आपूर्तिकर्ताओं के नाम, वजन, कीमत, मात्रा और कंपनी द्वारा किए गए वजन के अनुसार भुगतान की गई राशि को दर्शाते हुए एक विवरण तैयार किया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिलों के अनुसार, अलग-अलग पार्टियां प्रत्यर्थी-कंपनी को अरंडी के बीज बेच रही थीं, जिसके लिए बाजार क्षेत्र बडौदा में मिल स्थल पर तौल की गई थी और प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा की गई तौल के अनुसार पार्टियों को भुगतान किया गया था। 27.12.2004 को प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर, एपीएमसी ने प्रसंस्करण और उन्हें अरंडी के तेल और केक तेल में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बाजार क्षेत्र में अरंडी के बीज की खरीद के लिए बाजार उपकर का आकलन

किया और मूल्यांकन के आधार पर प्रत्यर्थी-कंपनी को 10 दिनों की अवधि के भीतर 1,27,46,349.38 का बाजार उपकर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

5. एपीएमसी द्वारा 27.12.2004 को किए गए उक्त मूल्यांकन से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी-कंपनी ने एपीएमसी के निर्देश के निर्णय को चुनौती देते हुए 05.01.2005 को गुजरात राज्य के समक्ष अधिनियम की धारा 48 के तहत पुनरीक्षण आवेदन संख्या 2 /2005 के माध्यम से उसे पत्र दिनांक 27.12.2004 के अनुसार बाजार उपकर का भुगतान करना होगा को चुनौती दी। उक्त संशोधन आवेदन पर एपीएमसी ने 23.01.2005 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी-कंपनी ने एपीएमसी द्वारा दायर जवाब पर 23.02.2005 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। उप सचिव, (अपील) ने अपने गुप्त आदेश दिनांक 19.04.2005 द्वारा पुनरीक्षण आवेदन संख्या 2/2005 को अनुमति दी और एपीएमसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2004 को रद्द कर दिया। यह एपीएमसी का मामला है कि पुनरीक्षण प्राधिकरण गलती से इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि नियम 48(1) लागू नहीं है और गलत तरीके से माना गया कि नियम 48(2) तथ्यात्मक स्थिति पर लागू था और आगे गलत तरीके से यह माना गया कि तेल रहित केक पर प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा कोई बाजार शुल्क भुगतान नहीं किया जायेगा ।

6. पुनरीक्षण प्राधिकरण के पुनरीक्षण आवेदन संख्या 2/2005 में पुनरीक्षण प्राधिकरण के दिनांक 19.4.2005 के आदेश से व्यथित होकर, एपीएमसी ने गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सिविल आवेदन संख्या 13606/2005 को प्राथमिकता दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 22.12.2005 द्वारा पुनरीक्षण के आदेश को रद्द कर दिया, जहां तक अरंडी के बीज पर बाजार शुल्क लगाने का संबंध है, यह मानते हुए कि बिक्री बाजार क्षेत्र के भीतर हुई थी और इसलिए एपीएमसी ऐसी खरीद के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी से शुल्क लेने के लिए अधिकृत किया गया था और आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। हालाँकि, प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा बेचे गए डी-ऑयल केक पर शुल्क लगाने के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि यह अरंडी के तेल के निर्माण के दौरान उप-उत्पाद है और इसलिए, यह एक कृषि उपज नहीं है और बाजार शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

7. दिनांक 22.12.2005 के उक्त फैसले से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी-कंपनी ने 18.1.2006 को गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष पत्र पेटेंट अपील संख्या 139/2006 दायर की, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को चुनौती दी गई कि औद्योगिक संस्था द्वारा अरंडी के तेल के बीज की खरीद पर बाजार शुल्क से छूट। एपीएमसी ने भी विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 22.12.2005 के उक्त आदेश से व्यथित

होकर डी-ऑयल केक पर बाजार शुल्क/उपकर के लिए एपीएमसी, बडौदा के दावे को खारिज करने के लिए पत्र पेटेंट अपील संख्या 195/2006 दायर किया। पक्षों को सुनने के बाद 24.4.2007 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रत्यर्थी-कंपनी की अपील को स्वीकार कर लिया और एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए एपीएमसी, बडौदा की अपील को खारिज कर दिया कि नियम 48(2) लागू है और अरंडी के बीज बाजार क्षेत्र के बाहर से लाए गए थे। डिवीजन बेंच ने एपीएमसी, बडौदा द्वारा दायर विशेष सिविल आवेदन संख्या 13606/2005 की अस्वीकृति को बरकरार रखा, जिसमें इस मामले को स्वीकार नहीं किया गया कि डी-ऑयल केक पर बाजार शुल्क लगाया जाता है, जो इसके द्वारा बेचा जाने वाला एक उप-उत्पाद है और यह निष्पाद्य वस्तु नहीं है क्योंकि यह कृषि उपज नहीं है। सामान्य निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपीलें दायर की जाती हैं।

8. इन अपीलों में दोनों बिंदुओं पर दिए गए उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और कारणों की शुद्धता पर सवाल उठाने वाले कानूनी आधारों के आधार पर, इन अपीलों में न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित बिंदु विचार के लिए सामने आएंगेः-

(1) क्या एपीएमसी, बडौदा प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खरीदे गए अरंडी के बीज पर बाजार शुल्क का दावा करने के लिए उत्तरदायी है, इस दलील पर कि ये एपीएमसी, बडौदा के बाजार क्षेत्र के भीतर खरीदे गए थे, जहां अरंडी

के बीज का उपयोग उक्त औद्योगिक कंपनी द्वारा एपीएमसी, बडौदा के बाजार क्षेत्र के भीतर अरंडी के तेल के निर्माण के लिए किया जाता है?

(2) क्या अरंडी के तेल के निर्माण के लिए प्रत्यर्थी औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग के लिए अरंडी के बीज की खरीद बाजार शुल्क के भुगतान से छूट पाने के लिए नियमों के नियम 48(2) के अंतर्गत आती है?

(3) क्या डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को खारिज करना उचित है जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खरीदे गए अरंडी के बीज एपीएमसी के बाजार क्षेत्र के भीतर हैं?

(4) क्या डिवीजन बेंच का एलपीए संख्या 195/2006 के संबंध में बिंदु संख्या 2 पर निष्कर्ष दर्ज करना उचित है कि प्रत्यर्थी कंपनी अपने द्वारा बेचे गए डी-ऑयल केक पर किसी भी बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जैसा कि कहा गया है अरंडी के तेल के निर्माण के दौरान उप-उत्पाद होना जो अधिनियम की अनुसूची और निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में सूचीबद्ध वस्तुओं में से एक नहीं है?

(5) क्या आदेश?

बिंदु संख्या 1 से 3 का उत्तर

9. बिंदु संख्या 1 से 3 तक का उत्तर एक-दूसरे से संबंधित होने के कारण निम्नलिखित कारण बताकर एक साथ दिया गया हैः

इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अधिनियम की धारा 2(प) के तहत कृषि उपज की परिभाषा और अधिनियम की धारा 28 के तहत बाजार शुल्क लगाने से संबंधित प्रावधानों और नियमों के नियम 48(1) के तहत इस उद्देश्य के लिए पार्टियों की ओर से आग्रह किए गए प्रतिद्वंद्वी कानूनी तर्कों के संदर्भ में तथ्यात्मक मैट्रिक्स की सराहना करने के लिये संदर्भित करे:-

2(i)-"कृषि उपज" का अर्थ है अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि, बागवानी और पशुपालन की सभी उपज, चाहे संसाधित हो या नहीं।

धारा 28: बाजार समिति, नियमों के प्रावधानों और समय-समय पर निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम सीमा के अधीन, बाजार क्षेत्र में खरीदी या बेची गई कृषि उपज पर शुल्क लगाएगी और एकत्र करेगीः

बशर्ते कि इस प्रकार लगाई गई फीस बाजार समिति द्वारा ऐसे एजेंटों के माध्यम से एकत्र की जा सकती है जिन्हें वह नियुक्त कर सकती है।

नियम 48: बाजार शुल्कः-

(1) बाजार समिति बाजार क्षेत्र में खरीदी या बेची गई कृषि उपज पर ऐसी दर पर शुल्क लगाएगी और एकत्र करेगी जो निम्नलिखित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अधीन उपनियमों में निर्दिष्ट की जा सकती है।

(1) यथामूल्य लगाए जाने पर दरें 30 पैसे से कम नहीं होंगी और 2 (दो) प्रति सौ रुपये से अधिक नहीं होंगी।

(2) मवेशी, भेड या बकरी के संबंध में दरें 25 पैसे प्रति पशु से कम नहीं होंगी और 4 प्रति पशु से अधिक नहीं होंगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए कृषि उपज की बिक्री को बाजार क्षेत्र में हुई माना जाएगा यदि इसे बिक्री के प्रयोजन के लिए बाजार क्षेत्र में मवेशियों के मामले में तौला या मापा या सर्वेक्षण या वितरित किया गया हो, इसके बावजूद तथ्य यह है कि कृषि उपज की संपत्ति ऐसी बिक्री के कारण बाजार क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को हस्तांतरित हो गई है।

(2) निर्यात के लिए बाजार क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग के लिए बाजार क्षेत्र के बाहर से बाजार क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जिसके संबंध में घोषणा की गई है और एक प्रमाण पत्र दिया गया, बनाया गया है और प्रपत्र v में एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हैः-

बशर्ते कि यदि निर्यात के लिए बाजार में लाई गई ऐसी कृषि उपज को लाए जाने की तारीख से बीस दिन की समाप्ति से पहले निर्यात या हटाया नहीं जाता है, तो बाजार समिति उस व्यक्ति से ऐसी कृषि उपज पर उप-नियम में निर्दिष्ट अधिकतम और न्यूनतम के अधीन उप-कानूनों (i) में

निर्दिष्ट दरों पर उपज को बाजार क्षेत्र में लाने पर शुल्क लगाएगी और एकत्र करेगीः

बशर्ते कि उस बिक्री या खरीद पर कोई शुल्क देय नहीं होगा जिस पर धारा 6 की उपधारा (3) लागू होती है।

10. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रत्यर्थी-कंपनी एक औद्योगिक संस्था है जो अरंडी के बीज से अरंडी के तेल का निर्माण कर रही है, जिसे एपीएमसी, निदेशालय बडौदा द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची में कृषि उपज के रूप में घोषित किया गया है।

11. यह प्रत्यर्थी-कंपनी का मामला है कि 19.04.2004 से 30.11.2004 की अवधि के लिए अरंडी के बीज पर बाजार शुल्क लगाने की मांग और मूल्यांकन गलत है क्योंकि अरंडी के बीज बाजार क्षेत्र के बाहर से खरीदे गए थे। एपीएमसी, बडौदा और इसे औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग के लिए लाया गया था जो तेल के विनिर्माण के लिए इसका उपयोग करने के उद्देश्य से एपीएमसी, बडौदा के बाजार क्षेत्र में स्थित है। इस संबंध में, एपीएमसी ने प्रत्यर्थी-कंपनी को मिल में उपयोग किए जा रहे सामान के संबंध में 19.04.2004 से 30.11.2004 की अवधि के लिए खाते प्रस्तुत करने के लिए कहा है और इसके लिए मार्केट कमेटी से वर्ष 2004-2005 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 07.12.2004 को कहा गया है। प्रत्यर्थी-कंपनी ने कंपनी द्वारा अरंडी के बीज की खरीद के संबंध में उपरोक्त अवधि के लिए

मासिक विवरण प्रस्तुत किया। एपीएमसी ने प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर विवरण तैयार किया, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के नाम, वजन, खरीदी गई कृषि उपज की मात्रा और कंपनी द्वारा किए गए वजन के अनुसार कंपनी द्वारा अपने व्यापारी को भुगतान की गई राशि दिखाई गई। समिति के अनुसार, प्रत्यर्थी-कंपनी को बेचे गए अरंडी के बीज के लिए विभिन्न पक्षों को जारी किए गए बिलों के अनुसार, कंपनी द्वारा की गई खरीदारी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अरंडी के बीज का वजन बडौदा में मिल साइट पर किया गया था और प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा किए गए वजन के अनुसार भुगतान किया गया था इसलिए, मूल्यांकन के आधार पर, प्रत्यर्थी-कंपनी को अपने आदेश दिनांक 27.12.2004 द्वारा 1,27,46,349.38 के बाजार उपकर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उक्त मूल्यांकन आदेश से व्यथित प्रत्यथी -कंपनी ने एपीएमसी द्वारा किए गए मूल्यांकन आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए गुजरात राज्य के समक्ष अधिनियम की धारा 48 के तहत पुनरीक्षण आवेदन संख्या 2/2005 को प्राथमिकता दी। उप सचिव (अपील) ने पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 19.04.2005 को एक गुप्त आदेश पारित किया, जिसमें पुनरीक्षण आवेदन को अनुमति दी गई और बाजार समिति के दिनांक 27.12.2004 के मूल्यांकन के आदेश को रद्द कर दिया गया। पुनरीक्षण आवेदन की अनुमति देते समय, पुनरीक्षण प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नियमों का नियम 48(1) लागू नहीं है और माना गया कि नियम

48(2) तथ्यात्मक स्थिति पर लागू होगा। इसकी सत्यता को संविधान के अनुच्छेद 226 के विशेष नागरिक आवेदन संख्या 13606/2005 के तहत एक याचिका दायर करके गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी।

12. विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी-कंपनी को अवसर देने और दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद माना है कि अरंडी के बीज एपीएमसी के बाजार क्षेत्र के भीतर खरीदे गए हैं, इसलिए, उप-नियम (1) नियम 48 तथ्यात्मक स्थिति पर लागू होता है, न कि नियम 48 के उप-नियम (2) पर, जिस पर प्रत्यर्थी-कंपनी के वकील ने भरोसा जताया था। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी-कंपनी और उसके अरंडी के बीज के आपूर्तिकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान किए गए कुछ दस्तावेजों जैसे चालान, बिल रसीद आदि के संदर्भ में तथ्यात्मक पहलुओं का उल्लेख किया है। नरोदा, अहमदाबाद की मनीष ट्रेडिंग कंपनी द्वारा दिनांक 03.05.2004 को 75 किलो वजन वाले अरंडी के बीज के 150 बैग की आपूर्ति के लिए जारी किए गए बिल की जांच की गई। शुल्क लिया गया दर था 305/- प्रति 100 किलोग्राम। दिखाई गई कुल मात्रा 112.50 क्विंटल थी और दावा की गई कुल मात्रा थी 1,71,562/- उक्त बिल दिनांक 03.05.2004 में यह दर्शाया गया था कि भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। संकलन के पृष्ठ 28 पर, प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा जारी एक खरीद वाउचर/प्रेषण नोट है। इसमें कोई विवाद नहीं

है कि उक्त खरीद वाउचर/प्रेषण नोट दिनांक 03.05.2004 के बिल के तहत मनीष ट्रेडिंग कंपनी द्वारा परिवहन की गई उसी खेप से संबंधित है। खरीद वाउचर इंगित करता है कि प्राप्त अरंडी के बीज की मात्रा 37.50 किलोग्राम कम थी। 150 किलो के बैग का वजन भी अरंडी के बीज की मात्रा से घटा दिया गया. 100 किलो के लिए 305/- की सहमत दर स्थिर रही और इसलिए प्रत्यर्थी-कंपनी उपरोक्त उल्लिखित मनीष ट्रेडिंग कंपनी को कुल राशि 1,70,991/- भेजने पर सहमत हुई। अदालत के प्रश्न पर कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने निर्देश पर कहा कि कमी या चोरी का पता लगाने के उद्देश्य से बाजार क्षेत्र के भीतर विक्रेताओं से खेप प्राप्त की गई थी और भुगतान उस सीमा तक किया गया है वास्तविक मात्रा प्राप्त हुई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 112.50 क्विंटल वजन वाले अरंडी के बीज की कुल मात्रा का भी उल्लेख किया है, जिसे मनीष ट्रेडिंग कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी-कंपनी तक पहुंचाया गया था और इसने खेप के वजन के बाद और प्राप्त अरंडी के बीज के सही वजन का पता लगाने के बाद यह भुगतान किया था।

13. उक्त भौतिक तथ्यों के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रत्यर्थी-कंपनी ने बाजार क्षेत्र के बाहर से अपने आपूर्तिकर्ताओं से अरंडी के बीज की खरीद के लिए आदेश दिया था, लेकिन इसके लिए तुरंत कोई भुगतान नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी-कंपनी की मांग पर, उसके द्वारा अपेक्षित अरंडी के बीज की मात्रा आपूर्तिकर्ता द्वारा

पहुंचाई गई थी जो उसे बाजार क्षेत्र के भीतर प्राप्त हुई थी। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्राप्त खेप का वजन कंपनी द्वारा बाजार क्षेत्र के भीतर किया गया था। इसके बाद प्राप्त अरंडी के बीज का सही वजन पता चलने पर कंपनी द्वारा आपूर्तिकर्ता को सहमत दर पर भुगतान किया गया। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश उपरोक्त तथ्यों की सराहना के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचे और माना कि बिक्री तब तक प्रभावी नहीं हुई जब तक कि प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खेप प्राप्त नहीं हो गई और उसे बाजार क्षेत्र के भीतर तौला नहीं गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कंपनी की ओर से विद्वान वकील द्वारा किए गए दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया है कि परिवहन के दौरान कमी या हानि या क्षति के मामले में, विक्रेता ट्रांसपोर्टर से क्षति का दावा कर सकता है और यह आगे प्रदर्शित करेगा कि प्रत्यर्थी-कंपनी वह तब तक माल का मालिक नहीं बनता था जब तक कि वह उसकी भौतिक डिलीवरी नहीं ले लेता था, उसका वजन नहीं कर लेता था और प्राप्त मात्रा के बारे में स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाता था। यह माना गया कि इसके द्वारा मात्रा का पता लगाना मात्र एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इसमें प्राप्त मात्रा की सीमा के आधार पर भुगतान करने का आवश्यक तत्व है और मात्रा में किसी भी भारी कमी के मामले में, मुद्दा दोनों के आपूर्तिकर्ता और ट्रांसपोर्टर बीच होगा। आगे की खोज में दर्ज किया गया कि यदि व्यापारी द्वारा आपूर्ति की गई 100 क्विंटल अरंडी के बीज की मात्रा के मुकाबले, प्रत्यर्थी-कंपनी को हानि, क्षति या चोरी के

कारण इसका केवल आधा हिस्सा प्राप्त होता है, तो कंपनी केवल इतनी मात्रा के लिए भुगतान करेगी। व्यापारी को नुकसान की भरपाई ट्रांसपोर्टर से करनी होगी। ऐसा भी मामला होगा जहां कुछ अप्रिय और अप्रत्याशित परिस्थितियों, जैसे प्राकृतिक आपदा या चोरी के कारण, प्रत्यर्थी-कंपनी को अरंडी के बीज की पूरी मात्रा प्राप्त नहीं हुई, भुगतान केवल प्राप्त मात्रा के लिए किया जाएगा और व्यापारी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पूरी मात्रा के लिए नहीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य को सही ढंग से दर्ज किया है कि जब अरंडी के बीज बाजार क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो कंपनी द्वारा इसका वजन किया जाता था और प्राप्त मात्रा के अनुसार भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की जाती थी और तब तक अरंडी के बीज विक्रेता के स्वामित्व में रहते थे। अरंडी के बीज का सही वजन सुनिश्चित होने और खरीद वाउचर प्राप्त होने के बाद ही कंपनी संपत्ति की मालिक बन जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही माना कि एपीएमसी का यह तर्क उचित है कि अरंडी के बीज की बिक्री बाजार क्षेत्र के भीतर हुई थी और अपीलकर्ता को ऐसी खरीद के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी से शुल्क लेने के लिए अधिकृत किया गया था। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि अरंडी का बीज प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा एपीएमसी, बडौदा के बाजार क्षेत्र के भीतर खरीदा गया था और इसलिए नियमों का नियम 48(1) तथ्यात्मक स्थिति पर लागू होता है, न कि नियम 48(2) जैसा कि वकील द्वारा तर्क दिया गया। माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 19, 20 और 21 के प्रावधानों

का उल्लेख करने और हो किम सेंग बनाम माउंग बा चित एआईआर पीसी 182 में प्रिवी काउंसिल का निर्णय के बाद उक्त निष्कर्ष पर पहुंचा गया। माल की बिक्री अधिनियम की धारा 19, 20 और 21 इस प्रकार हैंः -

"19. संपत्ति तब पारित होती है जब पारित करने का इरादा होता है।-

(1) जहां विशिष्ट या निश्चित वस्तुओं की बिक्री के लिए कोई अनुबंध होता है, उनमें संपत्ति खरीदार को ऐसे समय में स्थानांतरित कर दी जाती है, जब अनुबंध के पक्षकार इसे स्थानांतरित करने का इरादा रखते हैं।

(2) पार्टियों के इरादे को सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध की शर्तों, पार्टियों के आचरण और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।

(3) जब तक कोई अलग इरादा प्रकट न हो, धारा 20 से 24 में निहित नियम पार्टियों के इरादे को सुनिश्चित करने के लिए नियम हैं कि किस समय माल में संपत्ति खरीदार को दी जानी है।

20. सुपुर्दगी योग्य अवस्था में विशिष्ट वस्तुएँ.- जहाँ सुपुर्दगी योग्य अवस्था में विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री के लिए बिना शर्त अनुबंध होता है, अनुबंध होने पर माल में मौजूद

संपत्ति खरीदार के पास चली जाती है, और यह मायने नहीं रखता कि डिलीवरी का समय क्या है कीमत का भुगतान या माल की डिलीवरी का समय, या दोनों स्थगित कर दिया जाता है।

21. विशिष्ट वस्तुओं को सुपुर्दगी योग्य स्थिति में रखा जाना- जहां विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री के लिए कोई अनुबंध होता है और विक्रेता उन वस्तुओं को सुपुर्दगी योग्य स्थिति में लाने के उद्देश्य से कुछ करने के लिए बाध्य होता है, वहां संपत्ति नहीं होती है जब तक ऐसा कुछ नहीं हो जाता और खरीदार को इसकी सूचना नहीं मिल जाती,

प्रिवी काउंसिल के उपरोक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा कृषि बाजार समिति बनाम शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड एआइआर एससी पेज 2502 के निर्णय में संदर्भित किया गया है जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त निर्णय से निम्नलिखित पैराग्राफ को सही ढंग से निकाला है और इसे निकालना सार्थक है वही नीचेः-

"40. धारा 20 को लागू करने के लिए, दो शर्तों को पूरा करना होगाः

(i) बिक्री का अनुबंध विशिष्ट वस्तुओं के लिए है जो वितरण योग्य स्थिति में हैं और

(ii) अनुबंध एक बिना शर्त अनुबंध है। यदि ये दो शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो धारा 20 तुरंत लागू हो जाती है और इस चरण में यह देखना होगा कि अनुबंध की शर्तों में या पार्टियों के आचरण में या मामले की परिस्थितियों में ऐसा कुछ है या नहीं विपरीत इरादे का संकेत देता है. यह अभ्यास धारा 19(3) में आने वाले शुरुआती शब्दों, अर्थात जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो को प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए। हो किम सेंग बनाम माउंग बा चित में, यह माना गया कि पार्टियों का इरादा निर्णायक कारक था जब माल में संपत्ति क्रेता के पास जाती है। यदि अनुबंध मौन है, तो इरादे को मामले के आचरण और परिस्थितियों से इकट्ठा किया जाना चाहिए।

14. इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश उन दस्तावेजों के आधार पर, जो सभी स्वीकृत दस्तावेज हैं, सही निष्कर्ष पर पहुंचे और माना कि अरंडी के बीज प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा बाजार क्षेत्र के भीतर खरीदे गए थे।इसलिए, एपीएमसी ने बाजार शुल्क का सही मूल्यांकन किया है और अधिनियम की धारा 28 के अनुसार इसे लगाया है, जो मूल्यांकन आदेश तथ्यों की उचित

सराहना किए बिना और धारा 28 और नियम 48(1) के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू किए बिना पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा गलती से रद्द कर दिया गया है और गलत निष्कर्ष पर पहुंचे और माना कि खरीदा गया सामान कंपनी द्वारा अपने कारखाने में तेल बनाने के उद्देश्य से बाजार क्षेत्र के बाहर से लाया गया था। इसलिए, यह तर्क माफी योग्य नहीं हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और यह माना गया था कि प्रत्यर्थी-कंपनी बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जो अरंडी के बीज की खरीद पर उपकर है, एपीएमसी के दावे को उचित ठहराते था दिनांक 22.12.2005 के आदेश पर कंपनी द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 139/2006 दाखिल करने पर सवाल उठाया गया था और उस आदेश को डिवीजन बेंच ने नियम 48(2) का हवाला देते हुए कंपनी के पक्ष में बिंदु संख्या 1 का उत्तर देकर गलती से रद्द कर दिया था और उपरोक्त निर्णयों को गलत ढंग से लागू करना। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सुप्रा में संदर्भित उक्त फैसले पर सही ढंग से मजबूत भरोसा जताया और सही निष्कर्ष पर पहुंचे और माना कि अरंडी के बीज के माल की बिक्री एपीएमसी के बाजार क्षेत्र के भीतर है। दूसरी ओर, विद्वान डिवीजन बेंच ने नियमों के फॉर्म नंबर अ पर भरोसा करते हुए नियम 48(2) पर मजबूत निर्भरता जताई, जो कि कंपनी द्वारा उत्पादित घोषणा और प्रमाण पत्र का फॉर्म है जो पृष्ठ 79 से 89 पाया गया था जो यह पता लगाने के उद्देश्य से

पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं कि क्या सामान यानी अरंडी के बीज कंपनी द्वारा एपीएमसी के बाजार क्षेत्र के भीतर खरीदे गए थे या नहीं।

15. तथ्यात्मक मैट्रिक्स के विशेष सिविल आवेदन संख्या 13606/2005 के अनुबंध एफ में प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा समर्थित है, जो प्रत्यर्थी-कंपनी के दस्तावेज हैं जिन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले में बडे पैमाने पर संदर्भित किया है। पैरा 11 इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अरंडी के तेल के बीज प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा एपीएमसी के बाजार क्षेत्र के भीतर खरीदे गए थे और इसलिए, उन्होंने सही माना है कि नियम 48(2) उस तथ्य पर लागू नहीं होता है जैसा कि दावा किया गया है। प्रत्यर्थी-कंपनी और फॉर्म नंबर अ पर निर्भरता, जो एपीएमसी क्षेत्र के बाहर से लाए गए अरंडी के बीज पर बाजार शुल्क के भुगतान से छूट की मांग करते हुए एपीएमसी से प्राप्त घोषणा और प्रमाण पत्र का फॉर्म है, भौतिक साक्ष्य के विपरीत रिकॉर्ड पर है और इसलिए, डिवीजन बेंच ने रिकॉर्ड पर निर्विवाद सामग्री साक्ष्य की उचित सराहना पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को उलटने में गंभीर गलती की है और बिक्री की धारा 19, 20 और 21 के संदर्भ में तथ्य की खोज को दर्ज किया है । माल अधिनियम और प्रिवी काउंसिल के फैसले में सुप्रा का उल्लेख किया गया है, जिसे इस न्यायालय ने शालीमार वर्क्स लिमिटेड मामले (सुप्रा) में संदर्भित किया है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश सही निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अरंडी के बीज कंपनी द्वारा खरीदे गए थे। संबंधित अवधि के लिए

बाजार क्षेत्र जिसके संबंध में बाजार शुल्क लगाने और कंपनी को उसका भुगतान करने का निर्देश देने का मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था, कानूनी और वैध था। तथ्य की स्थिति पर दिमाग और कानून का उचित उपयोग किए बिना पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा इसे गलती से रद्द कर दिया गया और फिर इसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निष्कर्षों को एलपीए संख्या 139/2006 में प्रत्यर्थी-कंपनी के उदाहरण पर विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा गलती से अलग रखा गया है इसलिए, हमें यह मानना होगा कि डिवीजन बेंच के उक्त निष्कर्ष को उलट दिया गया है रिकॉर्ड पर तथ्यों और निर्विवाद साक्ष्यों की उचित सराहना और सुप्रा और नियम 48(1) में संदर्भित माल की बिक्री अधिनियम के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करने पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए तथ्य की कानूनी और वैध खोज गलत है। इसलिए, हमें एलपीए संख्या 139/2006 में पारित उक्त आदेश को रद्द करना होगा और विशेष सिविल आवेदन संख्या 13606/2005 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल करना होगा और सीए संख्या 3130/2008 को अनुमति देनी होगी।

बिंदु संख्या 4 का उत्तर

16. बिंदु संख्या 4 का उत्तर एपीएमसी द्वारा निम्नलिखित कारणों को बताते हुए अपीलकर्ता के पत्र पेटेंट अपील संख्या 195/2006 को खारिज

करने में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखने के खिलाफ हैः -

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि ऑयल केक को कृषि उपज के रूप में अनुसूची में शामिल किया गया है जो अधिनियम की धारा 2(1)(प) के संदर्भ में योग्य कृषि उपज है। इसमें उप-नियम (पअ) में तिलहन शामिल है। आइटम नंबर 8 में अरंडी के बीज हैं और आइटम नंबर 11 में ऑयल केक हैं।

ऐसी उपज पर बाजार शुल्क लगाने के उद्देश्य से ऑयल केक एक योग्य कृषि उपज है। तथ्यात्मक और प्रतिद्वंद्वी तर्कों के आधार पर और पक्षों द्वारा प्रस्तुत भौतिक साक्ष्यों के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खरीदा गया अरंडी का बीज अरंडी के तेल की निकासी के लिए की गई प्रक्रिया के संबंध में पैराग्राफ 23 में दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा उत्पादित उप-उत्पाद डी-ऑयल केक है जिसमें 1 प्रतिषत से कम अरंडी का तेल होता है और अरंडी के बीज को एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पडता है ताकि इसमें से अधिकतम संभव तेल निकाला जा सके। प्रथम चरण में कच्चे बीजों को साफ करके भूसी आदि से अलग करने के बाद अरंडी के बीजों को यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से कुचलकर उससे तेल निकाला जाता है। यांत्रिक प्रक्रिया के बाद, जिसमें तेल केक में पर्याप्त मात्रा में तेल निकाला जाता है, अवशिष्ट उत्पाद डी-तेल

रहित केक होता है जिसे बाजार में बेचा जाता है। यह तेल केक के शीर्ष के अंतर्गत नहीं आता है। डी-ऑइल केक के उक्त उप-उत्पाद को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के पैराग्राफ 23 में व्यापक रूप से संदर्भित किया गया है और इसे यहां बताना सार्थक हैः -

> "23.प्रत्यर्थी नंबर 2 द्वारा खरीदे गए अरंडी के बीज से अरंडी का तेल निकालने के लिए की गई प्रक्रिया गंभीरता से विवाद में नहीं है। तथ्य यह है कि अंततः उप-उत्पाद, जिसके प्रत्यर्थी संख्या 2 डी-ऑइल केक होने का दावा करता है, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 2 बाजार में बेचता है और जिस पर याचिकाकर्ता बाजार शुल्क लगाने की मांग कर रहा है, उसमें 1प्रतिषत से कम अरंडी का तेल होता यह भी गंभीर विवाद नहीं है। प्रतिवादी नंबर 2 ने उस जटिल प्रक्रिया की व्याख्या की है जिसके माध्यम से अरंडी के बीज से अधिकतम संभव तेल निकाला जाता है। पहले चरण में कच्चे बीजों को साफ करने और भूसी आदि से अलग करने के बाद, अरंडी के बीजों को यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से कुचलकर उनसे तेल निकाला जाता है। यह यांत्रिक प्रक्रिया स्पष्ट रूप से तेल केक में पर्याप्त मात्रा में तेल छोड देगी जो तेल निकालने के बाद अस्तित्व में आ सकती है। यदि यह अवशिष्ट उत्पाद

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा बाजार में बेचा गया था, तो यह निश्चित रूप से ऑयल केक के अंतर्गत आएगा। उस सीमा तक प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा भी कोई गंभीर विवाद नहीं उठाया गया है। हालाँकि, प्रत्यर्थी नंबर 2 उस तेल की खली की बिक्री नहीं करता है जो उपर्युक्त यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अरंडी के बीज से तेल निकालकर अस्तित्व में आती है। इस प्रकार उत्पादित तेल केक को और अधिक व्यापक परिष्कृत और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पडता है जिसके द्वारा तेल केक में 10 प्रतिषत तेल सामग्री छोडने के बजाय, तेल के अवशेष का प्रतिशत 1 से भी कम कर दिया जाता है। संचालन के परिष्कृत तरीकों से, तेल की बर्बादी कम हो जाती है और तेल निष्कर्षण प्रतिशत में सुधार होता है। अंततः, अंतिम उप-उत्पाद जो अस्तित्व में आता है और जिसे प्रत्यर्थी नंबर 2 द्वारा बाजार में बेचा जाता है, वह 1 प्रतिषत से कम तेल सामग्री वाला डी-ऑइल केक है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि तेल केक और डी-तेल रहित केक दो अलग-अलग उत्पाद हैं। दोनों उत्पादों के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली की प्रकृति से यह संकेत मिलता है कि ऑयल केक में तिलहन के अवशेष होंगे जिसमें कुछ प्रतिशत तेल भी शामिल होगा। ऐसा केवल तब

होता है जब लगभग पूरी तरह से तेल केक में तेल की मात्रा नहीं होती है, इसे डी-ऑइल केक के रूप में लेबल किया जाता है। गुजरात बिक्री कर अधिनियम दो अलग-अलग उत्पादों अर्थात् तेल केक और डी-तेल रहित केक का भी संज्ञान लेता है। मैं केवल गुजरात बिक्री कर अधिनियम में निहित इन प्रविष्टियों से और अधिक समर्थन प्राप्त कर रहा हूं, न कि उक्त अधिनियम में परिभाषित शब्द की व्याख्या के उद्देश्य से। जैसा कि कहा गया है, अधिनियम ऑयल केक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से, जैसे तेल केक और डी-तेल रहित केक में तेल की मात्रा में अंतर, गुजरात बिक्री कर अधिनियम में तेल केक और डी-तेलयुक्त केक जैसे विभिन्न शब्दों का संज्ञान, तेल निष्कर्षण की प्रक्रिया में अंतर जिसके कारण तेल केक और डी-तेलयुक्त केक का उप-उत्पाद होगा, द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 में तेल केक और डी-ऑयल केक में तेल सामग्री के प्रतिशत के अंतर को दर्शाया गया है, यह देखा जा सकता है कि दो स्वतंत्र, अलग और विशिष्ट उत्पाद हैं और आम बोलचाल में भी इन्हें समझा जाता है। इसलिए, मेरी राय में, अनुसूची में शामिल तेल केक शब्द में तेल रहित केक शामिल नहीं होगा। मेरी राय

में याचिकाकर्ता-कृषि उपज बाजार समिति की ओर से ऐसे डी-ऑयलयुक्त केक की बिक्री और खरीद पर बाजार शुल्क लगाने का प्रयास स्वीकार्य नहीं है। अधिनियम की अनुसूची तेल केक को कृषि उपज में से एक के रूप में निर्दिष्ट करती है जिस पर बाजार शुल्क लगाया जा सकता है। मेरे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, कि ऑयल केक शब्द में बिना तेल वाला केक शामिल नहीं है, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी नंबर 2 द्वारा बेचे गए बिना तेल वाले केक पर बाजार शुल्क लगाने के लिए अधिकृत नहीं है। प्रक्रिया में अंतर जिसके परिणामस्वरूप तेल केक और डी-तेलयुक्त केक प्राप्त होगा, एपी राज्य और अन्य बनाम मैसर्स मॉडर्न प्रोटीन्स लिमिटेड. 1994 सप्ली (2) एससीसी 496 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी देखा गया था जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया था। यह नोट किया गया कि परिशोधन की प्रक्रिया के बाद प्राप्त मूंगफली के बीज उच्च श्रेणी की गुणवत्ता वाले, प्रोटीन से भरपूर होते हैं लेकिन एक्सपेलर में संसाधित हानिकारक सामग्रियों से मुक्त होते हैं और परिणाम मूंगफली का तेल और मूंगफली तेल केक होता है। मूंगफली तेल केक को फिर से विलायक के माध्यम से दबाया जाता

है जिसमें खाद्य हेक्सेन का छिडकाव किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप मूंगफली का तेल और मूंगफली से तेल रहित केक प्राप्त होते हैं।

17. आगे गुजरात बिक्री कर अधिनियम का संदर्भ दिया गया जिसमें तेल केक और डी-तेल रहित केक को उक्त अधिनियम और अनुसूची में निहित प्रविष्टियों से दो अलग उत्पाद माना जाता है। उक्त प्रविष्टियों को उक्त अधिनियम में परिभाषित शर्तों की व्याख्या के उद्देश्य से संदर्भित किया गया है। ऑयल केक शब्द को एपीएमसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है और आगे रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर ऑयल केक और डी-ऑयल केक में तेल की सामग्री में अंतर को विस्तृत किया गया है, अलग-अलग शब्दों का संज्ञान, ऑयल केक और डी ऑयल केक-गुजरात बिक्री कर अधिनियम में तेलयुक्त केक, तेल निकालने की प्रक्रिया में अंतर जिसके कारण तेलयुक्त केक और डी-तेलयुक्त केक का उप-उत्पाद होगा, हमें यह मानना होगा कि डी-तेलयुक्त केक तेल की तुलना में पूरी तरह से अलग उत्पाद है। इसके अलावा हमें आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मॉडर्न प्रोटीन्स लिमिटेड ;1994 supp (2) scc 496 के मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख करना होगा जिस पर प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा मजबूत निर्भरता रखी गई थी, जिसमें उक्त मामले में, यह नोट किया गया था कि परिशोधन की प्रक्रिया के बाद प्राप्त मूंगफली के बीज उच्च ग्रेड गुणवत्ता वाले, प्रोटीन से भरपूर लेकिन एक्सपेलर में संसाधित

हानिकारक सामग्रियों से मुफ्त हैं और परिणाम मूंगफली तेल और मूंगफली तेल केक है। मूंगफली तेल केक को फिर से विलायक के माध्यम से दबाया जाता है जिसमें फूड हेक्सेन का छिडकाव किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप मूंगफली का तेल और मूंगफली से तेल रहित केक प्राप्त होते हैं। उक्त निर्णय के आधार पर और इसे डी-ऑइल केक के उप-उत्पाद प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में वास्तविक स्थिति पर लागू करने से, यह स्पष्ट है कि यह ऑयल केक से अलग है क्योंकि इसमें तेल की मात्रा 1 प्रतिशत से कम होती है और यह बाजार शुल्क वसूलने के उद्देश्य से अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने डी-ऑयल केक पर बाजार शुल्क लगाने के खिलाफ मामले को स्वीकार करते हुए विशेष सिविल आवेदन संख्या 13606/2005 में इस संबंध में प्रार्थना को खारिज कर दिया। एपीएमसी द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील में भी इसी पर सवाल उठाया गया था, जिसकी प्रतिद्वंद्वी कानूनी दलीलों के संदर्भ में डिवीजन बेंच द्वारा जांच की गई है और इसने एपीएमसी के खिलाफ उक्त बिंदु का जवाब विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय पैरा नंबर 23 से निकालकर दिया है।

18. विनिर्माण प्रक्रिया से प्राप्त उप-उत्पाद तेल केक नहीं है, बल्कि प्रक्रिया से गुजरने के बाद डी-ऑयल केक है, जिससे डी-ऑयल केक प्राप्त होगा। मॉडर्न प्रोटीन्स लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि

1 प्रतिषत से कम तेल वाले डी-ऑयल केक का धारा 2 (1)(i) एपीएमसी अधिनियम के अनुसार अनुसूची में प्राधिकरण द्वारा कृषि उपज के रूप में उल्लेख नहीं किया गया हैऔर आगे माना गया कि उपरोक्त उपज ऑयल केक से पूरी तरह से अलग है। इसलिए, एपीएमसी द्वारा प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा भुगतान किया जाने वाला कोई बाजार शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त तथ्यात्मक निष्कर्ष को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उचित रूप से सहमति दी है। एपीएमसी द्वारा इसे रद्द करने की मांग की गई थी। हमने मामले के इस पहलू पर डिवीजन बेंच द्वारा निकाले गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष की सत्यता की सावधानीपूर्वक जांच की है। हम गुजरात उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमत हैं कि अरंडी के बीज से तेल के उत्पादन में विनिर्माण का उप-उत्पाद केवल डी-ऑयल केक है और अधिसूचना में अनुसूची वस्तुओं में से बाजार शुल्क लगाने का उद्देश्य से एक नहीं है इसलिए, हमें मामले के इस पहलू पर तथ्य की ठोस खोज में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा कारण नहीं मिलता है। इसलिए, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के ठोस निष्कर्ष की पुष्टि करनी होगी। हमें उनके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई वैध और ठोस कारण नहीं मिला क्योंकि उक्त दृष्टिकोण तथ्यात्मक मैट्रिक्स और वैधानिक प्रावधानों की उचित सराहना पर आधारित है क्योंकि डी-ऑयल केक का अधिनियम और अधिसूचना की

अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया है जिस वस्तु का उल्लेख किया गया है वह तेल केक है जो डी-ऑइल केक से भिन्न और अलग है जैसा कि इस न्यायालय ने मॉडर्न प्रोटीन्स लिमिटेड मामले में सुप्रा में बताया है। उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय को तथ्यात्मक स्थिति में उचित रूप से लागू किया है। इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य का उक्त निष्कर्ष कानूनी और वैध है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, मामले के इस पहलू पर एपीएमसी की अपील विफल होनी चाहिए क्योंकि हम डी-ऑयल केक पर बाजार शुल्क लगाने पर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आदेश की पुष्टि कर रहे हैं कि राशि के संबंध में डी-ऑयल केक पर लगने वाले बाजार शुल्क को कम किया जाएगा।

19. सीए नंबर 3130/2008 में बिंदु नंबर 1 से 3 पर हमारे द्वारा दर्ज किए गए कारणों के लिए एपीएमसी को सफल होना चाहिए। तदनुसार, हम अपील को स्वीकार करते हैं और लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 139/2006 में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द कर देते हैं और संबंधित अवधि के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा खरीदे गए अरंडी के बीज पर बाजार शुल्क लगाने को बरकरार रखते हैं और यह उक्त बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

20. बिंदु संख्या 4 के उत्तर में दर्ज कारणों के लिए, हम लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 195/2006 में पारित आदेश के खिलाफ एपीएमसी, बडौदा द्वारा दायर सीए संख्या 3131/2008 को खारिज करते हैं, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया है। जिसकी पुष्टि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कर दी.

21. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, सिविल अपील संख्या 3130/2008 को स्वीकार किया जाता है और सिविल अपील संख्या 3131/2008 को खारिज कर दिया जाता है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

बीभुती भुषण बोस

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी बी. एल. जाट आर जे 01015 आर.जे.एस.डी.जे.केडर द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।